

administered by the State Government and it is hoped that they will take suitable action in the matter in the light of the Commissioner's recommendations as accepted by the Industrial Committee on Pantanions.

### बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार सम्बन्धी समिति

619. श्री हुकम चन्द कछवाय :  
 श्री रामगोपाल शाल बाले :  
 श्री भारत सिंह चौहान :  
 श्री के० रमानी :  
 श्री जगन्नाथराव जोशी  
 डॉ० सुशीला नैयर :  
 श्री यमुना प्रसाद मंडल :  
 श्री श्रींकार लाल बेरबा :  
 श्री शिव कुमार शास्त्री :  
 श्री शारदा नन्द :  
 श्री एस. एम. कृष्ण :  
 श्री ज्योतिष्य बसु :  
 श्री हेम बह्मना :  
 श्री जनेश्वर मिश्र :  
 श्री रा. कृ. बिड़ला :  
 श्री रामाबतार शर्मा :

क्या अम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार कितना है ;

(ख) क्या यह सच है कि वास्तविक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए सरकार का एक समिति नियुक्त करने का विचार है ; और

(ग) यदि हाँ, तो समिति का कार्य क्षेत्र क्या होगा इसकी रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने की समय-सीमा क्या होगी ?

अम तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री डी. संजी-बेया) : (क) यथातथ्य जानकारी उपलब्ध

नहीं है ।

(ख) और (ग) सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है जिसमें कुछ संसद सदस्य भी शामिल होंगे । समिति, बेरोजगारी की मात्रा का उसके हर पहलू से अनुमान लगायेगी और उपयुक्त उप-चारी उपाय सुझायेगी ।

समिति को अपनी रिपोर्ट एक वर्ष की अवधि में प्रस्तुत करनी होगी ।

पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया तथा बाङुरा जिलों में भूख के कारण मृत्यु

620. श्री हुकम चन्द कछवाय :  
 श्री जे. मो. बिस्वास :  
 श्री जे. मुहम्मद इमाम :  
 डॉ. रानेन सेन :  
 श्री श्रद्धाकर सूपकार :  
 श्री देवकीनन्दन पाटीदिया :  
 श्री शारदानन्द :  
 श्री नन्द कुमार सोमानी :  
 श्री क. हाल्बर :  
 श्री रा. रा. सिंह देव :  
 श्री क. प्र. सिंह देव :  
 श्री कृ. भा. कौशिक :  
 श्री रा. की. अमीन :  
 श्री भोगेन्द्र झा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खाद्य तथा कृषि मलाहकार श्री किदवाई के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो कि 22 मई के हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुआ था और जिसमें कहा गया था कि पश्चिम बंगाल में दस व्यक्ति भूख के कारण मर गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम

बंगाल के पुर्लिया तथा बाँकुरा जिलों में बड़ी संख्या में लोगों पर सूखे का प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वाध, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहेब शिन्डे) : (क) सरकार ने विचाराधीन प्रोस रिपोर्ट देखी है। पता चला है कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के स्वाध तथा कृषि सलाहकार ने कुछ संवादकारताओं के प्रश्न के उत्तर में जो उस समय उन से मिले थे, केवल यही कहा था कि पुर्लिया में मुलमरी से 10 व्यक्तियों के मरने के बारे में आरोप प्राप्त हुआ था लेकिन इसकी जांच की जानी थी।

(ख) और (ग) पश्चिमी बंगाल के कुल जिलों में गत वर्ष अत्यधिक तथा असामयिक वर्षों से सूखे की स्थिति, फसल के खराब और फसल बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बाँकुरा और पुर्लिया जिले सब से अधिक प्रभावित क्षेत्र थे। राज्य सरकार ने राहत कार्य खोलने, मुफ्त सहायता देने, राशन की दुकानों से खाद्यान्नों की दी जाने वाली मात्रा में वृद्धि करने, मुफ्त फीडिंग कार्यक्रम: कुएं खोदने तथा कुओं को साफ करने और ऋण देने जैसे आवश्यक राहत उपाय किए हैं।

केन्द्रीय सरकार (मई 1970 में) ने 50 लाख रुपये मंजूर किए हैं ताकि राशन उपायों को चलाने के लिए राज्य सरकार की निधि में खर्चा पड़ा रहे।

शाहजहानपुर के एक व्यक्ति से 40 मन तांबे की तार का पकड़ा जाना

621. श्री हुकम चन्द कछवाय :  
श्री भारत सिंह चौहान :

श्री जगन्नाथ राव जोशी :  
श्री श्रींकार लाल बेरवा :  
श्री शारदा मन्व :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई और जून, 1970 के दौरान शाहजहानपुर के एक व्यक्ति से लगभग 40 मन तांबे की तारें पकड़ी गयी थी ;

(ख) क्या वे तारें डाक तथा तार विभाग की थी और उनका मूल्य कितना था ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 27 मई, 1970 को शाहजहानपुर में 400 किलोग्राम (10 मन 30 सेर) तांबे का तार बरामद किया गया था।

(ख) इसकी जांच की जा रही है। इसका मूल्य लगभग 5000 रुपये है।

(ग) पांच। अभी मामले की तफ़्तीश हो रही है।

Amount of Food subsidy given to Jammu and Kashmir

622. SHRI BENI SHANKER SHARMA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the amount of food subsidy given to the State of Jammu and Kashmir during the last three years; and

(b) the basis and purpose of the same ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE,